संख्या-198/2019/2245/22-2-2019-17(964)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर , 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, जो ग्राम-कटारी, थाना-जामो, जिला-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में विवाद बढने पर दिनांक 20.06.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बम से हमलाकर बैजनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-166/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34,436,286,504 व 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट-फैजाबाद के आदेश दिनांक 31.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक, अमेठी ने मा0 उच्चतम न्यायाल द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध संगीन किस्म का है, विचारण के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य होने पर सजायाफता हो चुका है, ऐसे अपराध जनमानस को भयाकान्त कर सकता है, जो सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी आर्थिक एवं भौतिक सुख के लिए पुन: अपराध कर सकता है, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की समाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है किन्तु समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में विवाद बढने पर दिनांक 20.06.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बम से हमलाकर बैजनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराध्यियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गम्भीरता,जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला (बन्दी संख्या-388/2007) पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, निवासी जनपद-अमेठी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-198/2019/2245(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार,वाराणसी ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-198/2019/2245/22-2-2019-17(964)/2019

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला, जो ग्राम-कटारी, थाना-जामो, जिला-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में विवाद बढने पर दिनांक 20.06.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बम से हमलाकर बैजनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-166/**2004** में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34,436,286,504 व 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट-फैजाबाद के आदेश दिनांक 31.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक, अमेठी ने मा0 उच्चतम न्यायाल द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध संगीन किस्म का है, विचारण के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य होने पर सजायाफता हो चुका है, ऐसे अपराध जनमानस को भयाकान्त कर सकता है, जो सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी आर्थिक एवं भौतिक सुख के लिए पुन: अपराध कर सकता है, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की समाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है किन्तु समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में विवाद बढने पर दिनांक 20.06.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बम से हमलाकर बैजनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराध्यियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उदय प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री गया प्रसाद शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in